न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(नीलाभ सक्सेना,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थनापत्र 3 जी (5) संख्या 02/2019
दायर दिनांक : 02.04.2019
आदेश दिनांक : 18.08.2022

:: अनवान ::

श्री नानूराम पिता किशोर जी, जाति खटीक, निवासी कुमारिया खेडा, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (मृत्यु)

1. श्री जितैन्द्र कुमार खटीक पुत्र स्व. श्री नानुरामजी निवासी कुमारिया खेडा, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद
2. श्री भूपेन्द्र कुमार खटीक पुत्र स्व. श्री नानुरामजी निवासी कुमारिया खेडा, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद

— प्रार्थीगण

:: बनाम ::

1. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना, कार्यान्वयन ईकाई 6 ए 1 आर सी व्यास कॉलोनी भीलवाडा
2. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द
3. तहसीलदार महोदय, राजसमन्द, तहसील व जिला राजसमन्द

—विपक्षीगण

मध्यस्थता अन्तर्गत धारा 3 जी (5) दी नेशनल हाईवेज अमेण्डमेन्ट एक्ट 1997 एवार्ड पत्रावली 557 (अ)/वर्ष 2016 दिनांक 05.08.2016

उपस्थितः—

1 श्री जितेन्द्र खटीक, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री विनोद कुमार शर्मा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1
3. श्री गिरिश तिवाड़ी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2
4. श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 3

प्रार्थी की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत सक्षम अधिकारी, भू अवाप्ति अधिकारी, राजसमन्द द्वारा प्रार्थी की ग्राम धोईन्दा में स्थित आराजी संख्या 2100 में 0.0073 हैक्टर को अवाप्त किये जाने के संबंध में पारित अवार्ड को इस आधार पर चुनौती दी गई कि उक्त अवार्ड कम जारी की गई तथा प्रार्थी को अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा राशि एवं तोषण राशि का भुगतान पर भूमि अर्जन पुनर्वासन ओर पुनः व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत अवार्ड

राशि एवं ब्याज दिलाने तथा पेड़ व मोटर की राशि दिलाने हेतु उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द से अवार्ड पत्रावली तलब की गई।

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम धोईन्दा तहसील व जिला राजसमंद में प्रार्थी एवं उसके भाई श्री प्रेमचंद एवं श्री केशुलाल की आराजी संख्या 2100 रकबा 01–07 हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आबादी में रूपान्तरित कराई गई। उपरोक्त भूमि में से आबादी में आवासीय रूपान्तरित भूमि का पट्टा प्रार्थी का पट्टा संख्या 78/94 तथा प्रेमचंद का पट्टा संख्या 76/94 एवं केशुलाल का पट्टा संख्या 77/94 दिनांक 19.06.1995 को पट्टा जारी हुआ । प्रार्थी के पट्टे कीं भूमि में एक ट्युबवेल एवं एक नीम का पेड़, जो लगभग 30–40 वर्ष पुराना था। उक्त भूमि की मुआवजा राशि दिनांक 11.11.2016 को रूपये 150000/– रूपये कुंआ संरचना का दिया गया व नीम के पेड़ की कोई राशि नहीं दी गई। दिनांक 27.12.2017 को प्रार्थी के खाते में रूपये 199512/– राशि डाली गयी, जो कि मेरे अन्य भाई केशुलाल एवं प्रेमचंद खटीक को दिनांक 15.02.2016 को रूपये 321261/– मुआवजा राशि से काफि कम हैं। विपक्षी द्वारा नियमानुसार मुआवजा नहीं देने के कारण व निर्धारण सहीं नहीं करने के कारण तथा ब्याज प्राप्त करने हेतु एवं सही राशि निर्धारण करने हेतु पर्याप्त व वाजिब क्षतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु उक्त याचिका प्रस्तुत की है।

अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी प्रार्थी व उसके भाईयों के हित में निर्धारित मुआवजा राशि की तुलना के संबंध में, नीम के पेड, मोटर व विद्युत उपकरण के संबंध में एवं टयुबवेल की मुआवजा राशि के संबंध में कथन करते हुये समान तथ्यों, समान अवाप्ति को चुनौती देते हुए मध्यस्थ महोदय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र संख्या 01/2018 (नानुराम बनाम परियोजना निदेशक, भारतीय रा.रा.व अन्य) दायर किया था, जिसको मध्यस्थ महोदय द्वारा खारिज कर दिनांक 17.05.2018 को आदेश पारित कर दिया गया । प्रार्थी द्वारा उक्त तथ्यों के आधार पर पुनः हस्तगत प्रार्थना श्रीमान के

न्यायालय जिला कलक्टर

समक्ष प्रस्तुत दायर किया गया है, जो कि विधि के प्रावधानों के अनुसार बाधित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथमदृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। मद संख्या 3 व 4 में वर्णित कथन को स्वीकार करते हुए प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि में स्थित ट्युबवेल का प्रचलित बाजार दर रूपये 150000/–से गणना कर दिनांक 01.11.2016 को प्रार्थी के हित में मुआवजा राशि का निर्धारण कर दिया गया । प्रार्थी की ओर से अवाप्त भूमि पर नीम का पेड अवस्थित होने के संबंध में मुआवजा राशि की मांग की गयी है, जिसके भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। मद संख्या 9 में वर्णित राशि का भुगतान प्रार्थी को किया जाना स्वीकार है। मद संख्या–13 में वर्णित कथनों का जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थी की अवाप्त भूमि पर 5 हार्सपावर की मोटर अवस्थित थी, जिसकी नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। उक्त मद में किये गये शेष कथन नियमानुसार नहीं होने के कारण स्वीकार नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

विपक्षी संख्या 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी द्वारा प्रार्थी की अवाप्त भूमि के सम्पूर्ण अवार्ड नियमानुसार RFCTLARR ACT 2013 के तहत निर्धारित डीएलसी दर से राशि तय कर विधिवत भुगतान किया जा चुका हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निराधार होने से सव्यय निरस्त फरमावें।

विपक्षी संख्या 3 की और से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 3 ने नियमानुसार राजस्व रेंकार्ड एवं मौके की स्थिति संरचना की नियमानुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत किया हैं एवं उस पर नियमानुसार देय मुआवजे की गणना की जाकर प्रार्थी के पक्ष में जारी विपक्षीगण द्वारा की जा चुकि हैं। प्रार्थी इसके अतिरिक्त कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विरूद्ध विपक्षीगण सव्यय निरस्त फरमावें।

प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा मेरे भाई श्री प्रेमचंद एवं केशुलाल से कम दिया है। एवं नीम के किमती वृक्ष का एवं पानी की मोटर का मुआवजा नहीं है, जो दिलवाया जावे । जबकि उक्त मुआवजा नहीं मिले तब तक प्रकरण में स्थगन दिया जावे।

विपक्षी संख्या 01 के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा विपक्षी द्वारा प्रार्थी को डी.एल.सी. रेट से अदा किया गया है। ट्युबवेल एवं नीम का पेशा देने को तैयार है। विपक्षी संख्या 2 की और से निवेदन किया कि विपक्षी द्वारा प्रार्थी की अवाप्ति की सम्पूर्ण कार्यवाही दी नेशनल हाईवेज एक्ट 1956 व RFCTLARR ACT 2013, नियम 2015 में विहित विधिक प्रक्रिया व प्रावधानों के अनुसार सम्पादित की गई। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निराधार होने से सव्यय निरस्त फरमावें।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं अवार्ड पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा उक्त अवार्ड को वृद्धि के लिए जो आधार लिये गये हैं उसमें उक्त भूमि का मुआवजा विपक्षी द्वारा अन्य भाई श्री केशुलाल, श्री प्रेमचंद पिता श्री किशोर खटीक के अनुरूप नहीं किया गया है। जबकि राजस्व ग्राम धोईन्दा तहसील राजसमंद में प्रार्थी एवं उसके भाई श्री प्रेमचंद एवं केशुलाल की आ.नं. 2100 रकबा 01.07 स्थित रही। इनमें प्रार्थी ने व उपरोक्त दोनो भाईयो ने भूमि आबादी में रूपान्तरित कराई गई। रूपान्तरित भूमि के पट्टे प्रार्थी को पट्टा सं. 78/94, प्रेमचंद को पट्टा सं. 76/94 एवं केशुलाल को पट्टा सं. 77/94 दिनांक 19.06.1995 को जारी किया गया। प्रार्थी की भूमि अवाप्ति के लिये 3ए 3059 (अ) दिनांक 28.12.12 जारी होकर दिनांक 30.01.13 को समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ एवं 3 डी 3014 (अ) दिनांक 04.10.13 एवं सार्वजनिक सूचना दिनांक 21.10.13 जो दिनांक 29.10.013 जो दिनांक 29.10.13 को समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुके है, के अनुरूप कुंआ का अवार्ड 1.50 लाख रू. एवं आवासीय का अवार्ड 199512 रू. जारी किया गया जो सही है, प्रार्थी अपने भाईयो केशुलाल एवं प्रेमचंद खटी को भुगतान की गयी राशि के अनुरूप मांग कर रहा है जबकि उक्त दोनो की भूमि अवाप्ति के लिये 3 डी 500(अ) दिनांक 20.02.14 जो दिनांक 29.03.14 को समाचार पत्रों में प्रकाशित होकर 3 डी 392(अ) दिनांक 06.02.2015 की सार्वजनिक सूचना दिनांक 01.04.15 को जारी होकर दिनांक 02.04.15 को समाचार पत्रों में प्रकाशन हुआ है। चूँकि दोनो प्रकरणों में पृथक अधि. सूचना जारी होकर तत् समय की डीएलसी रेट से मुआवजा तय किया गया । प्रकरण में प्रार्थी व उसके भाई प्रेमचंद व केशुलाल की भूमि अवाप्त करने बाबत अलग अलग दिनांक को धारा 3ए की

न्यायालय जिला कलक्टर

अधिसूचनायें जारी की गयी है और तदनुसार धारा 3ए की दिनांक को प्रचलित बाजार मूल्य भी अलग अलग होने से मुआवजा राशि का निर्धारण भी अलग अलग दर से किया गया है। ऐसे में प्रार्थी द्वारा अपनी अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि की तुलना प्रेमचंद व केशुलाल की अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि से किया जा रहा है जो विधिनुरूप नहीं है। प्रकरण में अवाप्त भूमि पर अवस्थित नीम का पेड़ एवं 5 हार्स पावर की मोटर अवस्थित होने से रेस्पोडेंट/विपक्षी संख्या 01 द्वारा दिनांक 16.06.2022 को प्रस्तुत जवाब में भुगतान की कार्यवाही की जाने का उल्लेख करने से प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करना उचित समझते है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को आंशिक रुप से स्वीकार करते हुए विपक्षीगण को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत क्लेम दस्तावेज पर धारा 3 जी (5) दी नेशनल हाईवेज एक्ट 1956, RFCTLARR ACT 2013, नियम 2015 व भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एण्ड हाईवेज द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचना के अनुसार प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए तथा प्रार्थी को उक्त सम्बन्ध में साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए नियमानुसार मुआवजा राशि का निर्धारण कर भुगतान सुनिश्चित करें।

आदेश की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द को प्रषित हो।

(नीलाभ सक्सेना)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द

आदेश आज दिनांक 18.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द